

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 8] नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 6, 1981/पौष 16, 1902
No. 8] NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 6, 1981/PAUSA 16, 1902

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जनवरी, 1981

सीमा शुल्क

सं० 410 नि० 9 (अ) —केन्द्रीय सरकार, सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपना यह सन्तुष्टि ज्ञापन देता है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की अधिसूचना सं० 4-सीमा-शुल्क, तारीख 4 जनवरी, 1979 का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना में, सारणी के स्थान पर निम्नलिखित सारणी रखी जाएगी, अर्थात्:—

“सारणी

क्र० सं०	माल का वर्णन	सीमा-शुल्क टैरिफ शूलक की दर अधिनियम, 1975 की पहली अनुसूची का शीर्ष सं०	
1	2	3	4
1	सघन किस्म का सोडाआश	28.01/58	मूल्य का 25 प्रतिशत
2	विरल किस्म का सोडाआश	28.01/58	मूल्य का 45 प्रतिशत

[सं० 7/फा० सं० 370/102/80-सी० शु०-1]

क० कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th January, 1981.

CUSTOMS

G.S.R. 9(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance Department of Revenue, No. 4-Customs, dated the 4th January, 1979, namely :—

In the said notification for the Table, the following Table shall be substituted, namely:—

“TABLE

Sl. No.	Description of goods	Heading Number of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975	Rate of duty
1	2	3	4
1.	Soda ash of dense variety	28.01/58	25 per cent ad-valorem.
2.	Soda ash of light variety	28.01/58	45 per cent ad-valorem.”

[No. 7/F.No. 370/102/80-Cus-I.]

K. KUMAR, Under Secy.